राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5077/2022

सुभाष चन्द्र यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा, जयपुर।
4. नीतू शर्मा, व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अमाई, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.09.2022
आदेश की दिनांक : 10.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से **:** श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अमाई, जयपुर किया गया है एवं आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा उसे कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी की प्रारम्भिक नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी, उसने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कभी कोई आवेदन नहीं दिया। अपीलार्थी की पत्नी भी व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। इस प्रकार दोनों राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर

दिया गया, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी के माता–पिता जो वृद्ध हैं, वे काफी समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी देखभाल हेतु परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा, जयपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहा तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित किये जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में ऐसे प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने समंजन (accommodate) के सन्दर्भ में यह भी अवधारित किया है कि :–

> ***"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."***

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> ***"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."***

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य